

प्रेस नोट 23.04.19

1.दिनांक 22.04.19 को वादी श्री नितीश कुमार श्रीवास्तव प्र०नि० कैण्ट, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. मनोज अमलानी पुत्र कन्हैयालाल अमलानी निवासी 802/2 अर्जुन नगर कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली 2. जैकी पुत्र स्व० राजकुमार बलैचा निवासी 18/140 राम नगर कालौनी थाना को०नगर, अयोध्या अभियुक्तगण द्वारा आईपीएल मैच में सट्टा लगाना व पकड़े जाना, मौके से मालफड़— 40000/ रुपये व 03 अदद मोबाइल बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 154/19 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

2.दिनांक 22.04.19 को वादी श्री आर०के० यादव अवर अभियंता 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र चौक, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि निशान्त्र प्रजापति उर्फ सागर पुत्र केशव प्रसाद निवासी मिर्जा अली बाजार थाना कैण्ट, अयोध्या अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से विद्युत चोरी कर उपभोग करना, मना करने पर गाली व धमकी देते हुए हमलावर होना व सरकारी कार्य मे बाधा डालना। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 155/19 धारा 332, 353, 504, 506 भादवि व 135(1)ई विद्युत अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

3.दिनांक 22.04.19 को वादी उ०नि० श्री अरविन्द तिवारी थाना को०अयोध्या, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सितामू पुत्र दुर्गा प्रसाद मांझी निवासी तिहुरा उपरहार थाना को०अयोध्या, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 210 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 248/19 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

4.दिनांक 22.04.19 को वादी श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी पुत्र केदार नाथ तिवारी निवासी खानपुर थाना महराजगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विपुल वर्मा पुत्र चन्द्र प्रकाश वर्मा निवासी खानपुर थाना महराजगंज अयोध्या आदि 02 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभियोगण द्वारा मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना महराजगंज में मु०अ०सं० 153/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

5.दिनांक 22.04.19 को वादी श्री प्रभाकर सिंह पुत्र आत्म प्रकाश सिंह निवासी बभनियांवा थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि ट्रैक्टर चालक कुलदीप पुत्र जगमोहन निवासी कुन्दुर्खा खुर्द थाना रौनाही, अयोध्या वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की मोटर साइकिल मे टक्कर मार देना जिससे मोबाइल टूट जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 176/19 धारा 279, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

6.दिनांक 22.04.19 को वादी श्री मनोज कुमार तिवारी पुत्र अशोक कुमार तिवारी निवासी दयालजोत खजुरहट थाना को०बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रमेश पुत्र स्व० मिट्ठू निवासी खजुरहट थाना को०बीकापुर, अयोध्या अभियुक्त द्वारा वादी को गाली व धमकी देते हुए गाड़ी क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 242/19 धारा 427, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

7.दिनांक 22.04.19 को वादी श्री राजेश प्रसाद मिश्र पुत्र गिरजा प्रसाद निवासी गजकरी थाना पटरंगा, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर मे घुसकर 5 बोरी गेहूँ चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 86/19 धारा 457, 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

8.दिनांक 22.04.19 को वादी उ०नि०श्री द्विवेश त्रिवेदी थाना पटरंगा, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि नन्हकू पुत्र स्व० त्रिलोकी निवासी सराय अहमद थाना पटरंगा, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 50 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना में मु०अ०सं० 87/19 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया ।